# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः–(**दिव्या**) **RAS**

प्रकरण संख्याः–308 / 2013

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः– 251 क(1) आर.टी.ए.**

1 तेजासिंह पुत्र दमनसिंह जाति रामगढिया तरखान निवासी 7 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

**– प्रार्थी**

**बनाम्**

1 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ
2 जरनैल कौर पत्नी मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)
3 गुरंजट सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)
4 कलवंत सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)
5 राजासिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)
6 बलजिन्द्र सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

**– अप्रार्थीगण**

**उपस्थित :–**

1. श्री बलजिन्द्र सिंह – अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री खुशप्रीत सिंह अधिवक्ता – अप्रार्थी सं. 6
3. राजपैरोकार प्रतिवादी सं. 1

## –::आदेश::–

**दिनांक ..........................**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट (संसोधित अधिनियम 2010) के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि चक 7 एल.एल.डब्ल्यू. के प.न. 136 / 216 किला नं. 10, 11, 20 प.न. 135 / 213 किला नं. 10, 11 प. न. 135 / 214 किला नं. 11 प.न. 137 / 215 किला नं. 11 / 1 / .101, 20 प.न. 137 / 216 का किला नं. 1, 10 कुल 2.378 है. कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है।

यह है कि प्रार्थी के भाई ज्ञानसिंह पुत्र दमनसिंह व प्रार्थी के नाम चक 7 एल.एल.डब्ल्यू. के खाता सं. 34 / 26 में जरिये विभाजन इस खाता की कुल 2.024 है. आराजी पृथक से दर्ज हुई है, जिसमें प्रार्थी के नाम प.न. 135 / 213 किला नं. 14 / 0.063, 15 / 0.063, 16, 17 एवं प.न. 134 / 214 किला नं. 15, 16 / 0.114 मय रास्ता 0.013 है. कुल 1.012 है. अवस्थित है। प.न. 137 / 216 किला नं. 1 में प्रार्थी का नलकूंप स्थापित है जहां भूमिगत जल की गुणवता अच्छी है जो कि फसल के लिए लाभप्रद एवं उपयोगी है।

यह है कि प.न. 136 पर उत्तर से दक्षिण की ओर खाला नाका बिंदू 136 / 215 तक मौजूद है। इस खाला से प्रार्थी अपनी उत्तर दिशा में अवस्थित कृषि भूमि जो कि प.न. 136 / 213, 135 / 213 में अवस्थित है को सिंचाई के लिए काम में ला रहा है। प्रार्थी अपने नलकूप से खाला तक की 5 बीघा दूरी तक [illegible] पाईप लाइन ले जाना चाहता है। प.न. 137 / 213 के किला नं. 11 / 1 / .101 व किला नं. [illegible] 21 में पत्थर लाइन 136 पर भूमिगत पाईप लाइन डाल दी है परन्तु प.न. 136 / 215 का किला नं. 5, 6, 15 [illegible] रहे रास्ते के स्थान पर भूमिगत पाईप लाइन डालने से रह [illegible] है। प्रार्थी जिस भूमि [illegible] पाईप लाइन ले

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:13:46 IST
Reason: SelfAttested

जाना चाहता है व गैर मुमकिन रास्ता भूमि है। जिसके भूमिगत पाईप लाइन ले जाने से रास्ते में कोई अवरोध होने की संभावना नहीं है।

यह है कि प्रार्थी ने पूर्व में भूमिगत पाईप डालने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 के समक्ष दिनांक 10.05.2011 को प्रस्तुत किया था, जिसे अप्रार्थी ने अपने आदेश दिनांक 31.05.2011 को जरिये महज कुछ काश्तकारों के द्वारा की गई बेवजह की आपति के आधार पर प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। तहसीलदार हनुमानगढ के द्वारा पारित उक्त आदेश के समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में धारा 251 (क) का संसोधन जोड़ा नही गया था, परन्तु ऐसा संसोधन प्रस्तावित था। ऐसी अवस्था में प्रार्थी अधिकार सहित पाईपा लाइन स्वीकृत करवाने में सक्षम नही था। अब इस संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संसोधित धारा 251 (क) को जोड़ा गया है जिसके जरिये प्रत्येक काश्तकार को अपनी भूमि के आवागमन हेतु रास्ता व सिंचाई हेतु भूमिगत पाईप लाइन को प्राप्त करने का अधिकार प्रदत किया गया है। इसी अधिकारी स्वरूप प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को चक 7 एलएलडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ के प.न. 136/215 के किला नं. 5, 6, 15 में पत्थर लाइन 136 पर चल रहे रास्ते जो 16 फीट चौड़ाई में है, में भूमिगत पाईप लाइन डालने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

≈ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। जरिये प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के अप्रार्थी सं. 2 ता 6 को संयोजित शीर्षक किया गया। अप्रार्थी सं. 2 ता 5 गैर जरूरी पक्षकार होने के कारण बहस प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 6 की सुनी गई। प्रश्नगत आराजी की तहसीलदार हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./रास्ता/6259 दिनांक 31.8.2021 द्वारा भू.अ.निरीक्षक रोड़ावाली द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट प्रेषित की जिसमें प.न. 136/215 किला नं. 5, 6, 15 में गै.मु. रास्ता भूमि में से पाईप लाइन डालने की स्वीकृति प्रार्थी द्वारा चाही गई, का अंकन किया गया है। अप्रार्थी सं. 6 की ओर से अधिवक्ता खुशप्रीत सिंह ने वकालतनामा पेश किया व अप्रार्थी 6 की तरफ से बहस लिखित पेश की जिसकी एक प्रति वकील प्रार्थी को दिलवाई गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 6 द्वारा पेश लिखित बहस में, कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 के तहत गै.मु. रास्ता राज्य सरकार की संपति है। गै.मु. रास्ता सामान्य जन के उपयोग व उपभोग की संपति है जिसकी मालिक राज सरकार हैं। सार्वजनिक आवागमन में कोई अड़चन पैदा की जाती है तो सामान्य जन व्यथित हो सकता है। प्रार्थी द्वारा रास्ते में पाईप लाइन डाली जाती है तो रास्ते में बाधा उत्पन्न होगी और पाईप लाइन लीकेज आदि से रास्ते में आवागमन व काश्त फसल को नुकसान हो सकता है। माननीय राजस्व मण्डल के प्र.स. 100/87/हनुमानगढ/2012 आदेश दिनांक 24.8. 2015 पैरा सं. 8 का हवाला दिया तथा माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 16.07.2018 का हवाला पेश कर निवेदन किया कि धारा 251 ए आर.टी.ए.के विपरीत प्रकरण होने के कारण निरस्त फरमाया जावें।

अधिवकता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रत्येक काश्तकार को अपनी भूमि के आवागमन हेतु रास्ता व सिंचाई हेतु भूमिगत पाईप लाइन को प्राप्त करने का अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिकारी की धारा 251 ए द्वारा प्रदत किया गया है व इसी अधिकार स्वरूप प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है कि प्रार्थी को चक 7 एलएलडब्ल्यू तहसील हनुमानगढ के प.न. 136/215 के किला नं. 5, 6, 15 में पत्थर लाइन 136 पर चल रहे रास्ते जो 16 फीट चौड़ाई में है, में भूमिगत पाईप लाइन डालने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:13:46 IST
Reason: SelfAttested

≈ हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत निर्णयों/न्यायिक दृष्टांतो का सहसम्मान अध्ययन किया। पत्रावली शामिल प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी सं. 6 के प्रत्युत्तर/लिखित बहस का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष अंतिम पाया जाता है और आदेश दिए जाते है किः–

## –::क्रियान्विति आदेश::–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए एवं इसके अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 संसोधित अधिनियम 2012 में भी सरकारी/गै.मु. रास्ता की भूमि में से पाईप लाइन बिछाने/डालने की अनुमति के प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त इसके संबध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, आदेशों में भी राजकीय/गै.मु. रास्ता भूमि में से पाईप लाइन डालने की अनुमति को धारा 251 ए आर.टी.ए के अन्तर्गत शामिल नही किया गया हैं। इसलिए हस्तगत प्रकरण सुसंगत/विधि/नियम/आदेशों पर आधारित नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है। इसलिए प्रार्थना पत्र अनवानी तेजा सिंह बनाम स्टेट आदि अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रार्थी पक्ष पुनः नये सिरे से खातेदारी काबिल काश्त भूमि में से पाईप लाइन स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(दिव्या) RAS**
**सहायक कलक्टर**
**एवं उपखण्ड अधिकारी**
**हनुमानगढ**

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:13:46 IST
Reason: SelfAttested